कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/स/कस्तूरबा/एस.टी.डी.आर./2022–23/12 दिनांकः ई–हस्ताक्षरानुसार

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय (माध्यमिक)

विषय :– कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रदत्त एस.टी.डी.आर. योजना हेतु सत्र 2024–25 के ऑनलाईन आवेदन बाबत।

राज्य सरकार के पत्रांक प.1(14) शिक्षा–1/2008 दिनांक 20.10.2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर कक्षा–8 उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को स्नातक स्तर तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सावधि जमा रसीद **(स्पेशल टर्म डिपोजिट रिसीट–एस.टी.डी. आर)** योजना संचालित की जा रही है।

कक्षा 10 न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उतीर्ण कर सत्र 2024–25 में राजकीय विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्रा को 2000/–रूपये की एस.टी.डी.आर पांच वर्ष की अवधि तथा कक्षा 12 में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सत्र 2024–25 स्नातक पाठयक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाली छात्रा को 4000/–रूपये की एस.टी.डी.आर. तीन वर्ष की देय है। छात्रा द्वारा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही राशि आहरित की जा सकेगी अन्यथा राशि राज्य सरकार के पक्ष में स्वतः ही हस्तान्तरित हो जायेगी।
योजना की पात्रता एंव शर्ते निम्नानुसार हैः

पात्रता

- बालिका ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए कक्षा 10 में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त कर राजकीय विद्यालय की कक्षा 11 मे नियमित अध्ययनरत हो।
- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से 8 वीं उतीर्ण कर लेने के बाद राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर कक्षा 12 में 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करते हुए बालिका राजकीय/गैर राजकीय महाविधालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष की कक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।
- बालिका का स्वयं का आधार से जुड़ा एसबीआई का बैंक खाता हो।

RajKaj Ref No.: 9499313

<u>सामान्य शर्ते</u>

1. छात्रा की स्नातक अवरूद्व हो जाने की स्थिति में पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि से 3 वर्ष तक स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एस.टी.डी.आर. की राशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त अवधि के पश्चात भी यदि छात्रा स्नातक परीक्षा उतीर्ण नहीं कर पाती है तो एस.टी.डी.आर. पर राज्य सरकार का स्वामित्व होगा। सभी स्नातक पाठयक्रम यथा अकादमिक/व्यावसायिक, राजकीय/ गैर राजकीय, सभी महाविद्यालय में अध्ययनरत होने पर योजना का लाभ देय होगा।
2. एस.टी.डी.आर. छात्रा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त नामों से बनवाई जायेगी।
3. छात्रा निर्धारित अवधि में स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने के बाद स्वयं और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–मुख्यालय) के संयुक्त हस्ताक्षर होने पर ही एस.टी.डी.आर. का भुगतान प्राप्त कर सकेगी।
4. छात्राओं को एस.टी.डी.आर. एस.बी.आई. बैंक की शाखा से दिनांक 23.01.2008 को जारी मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टेडिंग की शर्तो के अनुसार ही बनवाई जा कर दी जावेगी।

योजना के सत्र 2024–25 में क्रियान्वयन हेतु शालादर्पण के बेनिफिशिअरी मॉड्युल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन हेतु **मॉड्युल दिनांक 20.08.2024 को लाईव** किया जा रहा है। योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए दिशा–निर्देशों अनुसार समस्त पात्र बालिकाओं के आवेदन **अंतिम तिथि दिनांक 12.09.2024** तक भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

(आशीष मोदी)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ तकीनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को निर्धारित तिथि पर मॉड्युल लाईव किए जाने हेतु।
2. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने बाबत।
3. उपनिदेशक, शालादर्पण प्रकोष्ठ राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।

RajKaj Ref No.: 9499313

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :19-08-2024 06:23:11